"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2009—पौष 12, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ. 3-15/2008/1/एक.—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने डॉ. रमन सिंह को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है.

क्रमांक एफ. 3-15/2008/1/एक.—डॉ. रमन सिंह ने, जो कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 को अपरान्ह में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपना पद ग्रहण किया. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद् के अन्य सदस्यगण अपने पदभार से कार्यमुक्त हुए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ. 3-15/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

Raipur, the 12th December 2008

No. F 3-15/2008/1/one.— The Governor of Chhattisgarh has been pleased to appoint Dr. Raman Singh as the Chief Minister of the state.

No. F 3-15/2008/1/one.—Dr. Raman Singh, who has been appointed by the Governor as Chief Minister, took Oath of his office and Oath of Secrecy, as required by clause (3) of Article 164 of the Constitution, and entered upon his office, on Friday the 12th day of December, 2008 afternoon, Thereby the former Chief Minister and Members of Council of Ministers relinquished office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. JOY OOMMEN, Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. (1991), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री विश्वकर्मा, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985), सचिव, जनसम्पर्क एवं आयुक्त, जनसम्पर्क एवं सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं सचिव, खनिज साधन विभाग केवल सचिव, खनिज साधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

2. श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992) कलेक्टर, दुर्ग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री साहू, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. दलेई, भा. प्र. से. (1984), केवल प्रमुख सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री विकास शील, भा. प्र. से. (1994), कलेक्टर, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. (1994), सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री कृष्ण राम पिस्दा, भा. प्र. से. (1996), संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से. (1997), कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री मुनीष कुमार त्यागी, भा. प्र. से. (1997), कलेक्टर, बीजापुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री सोनमणि बोरा, भा. प्र. से. (1999), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री जेवियर तिग्गा, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री एन. एस. मण्डावी, भा. प्र. से. (2000), कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री मण्डावी, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा. प्र. से. (1994), आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर केवल प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

श्री एन. एस. मण्डावी, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

11. श्री रामसिंह टाकुर, भा. प्र. से. (2000) कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

12. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

13. श्री अविनाश चंपावत, भा. प्र. से. (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

14. श्री भूवनेश यादव, भा. प्र. से. (2006) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भोपालपटनम्, जिला-दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं पदेन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 31-12-2008 से 09-01-2009 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं पदेन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/2/2008/1/2.—श्री भुवनेश यादव, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उ. ब., कांकेर को दिनांक 27-08-2008 से 30-08-2008 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-08-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव, आगामी आदेश तक, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उ. ब., कांकेर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/2/2006/1/2.—श्री एस. आर. ब्राहम्णे, भा. प्र. से., अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, बिलासपुर को दिनांक 15-12-2008 से 19-12-2008 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13,14, 20 एवं 21 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्राहम्णे आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ब्राहम्णे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्राहम्णे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/12/2007/1/2.—श्री एलेक्स व्ही. एफ. पाल मेनन व्ही., भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 11-09-2008 से 19-09-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 सितम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एलेक्स आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एलेक्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एलेक्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

क्रमांक 5100/2223/2008/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा. प्र. से., आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 01-12-2008 से 03-12-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-11-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-10/2005/1-8.—राज्य शासन डॉ. डी. आर. नायक, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (राज्य सम्पर्क अधिकारी) राष्ट्रीय सेवा योजना सेल को पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक 1411/1076/2008/1-8/स्था.—श्री सी. जे. खत्री, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 4-12-2008 से 12-12-2008 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. जे. खत्री को वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. जे. खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

क्रमांक 1413/1045/2008/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 10-11-2008 से 22-11-2008 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(अधीक्षण शाखा)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक/16-04/साप्रवि/के. टे./08.—मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन स्थित कक्षों का आवंटन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.	नाम	आवंटित कक्ष क्र.
1.	माननीय श्री ननकीराम कंवर, मंत्री	318-द्वितीय तल
2.	माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री	226-प्रथम तल
3.	माननीय श्री रामविचार नेताम, मंत्री	204-प्रथम तल
4.	माननीय श्री पुन्नू लाल मोहिले, मंत्री	216-प्रथम तल
5.	माननीय श्री चन्द्रशेखर साहू, मंत्री	104-भूतल
6.	माननीय श्री अमर अग्रवाल, मंत्री	109-भूतल
7.	माननीय श्री हेमचंद यादव, मंत्री	221-प्रथम तल
8.	माननीय श्री विक्रम उसेंडी, मंत्री	223-प्रथम तल
9.	माननीय श्री राजेश मूणत, मंत्री	351-द्वितीय तल
10.	माननीय श्री केदार कश्यप, मंत्री	106-भूतल
11.	माननीय मंत्री सुश्री लता उसेंडी	222-प्रथम तल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. भट्टर, अवर सचिव (अधीक्षण).

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक/एफ 1/03/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनिल एम. नवानी, भापुसे, महानिदेशक, छसबल, छ. ग. रायपुर को सपत्निक खंड वर्ष 2006-09 में भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत मुंबई (महाराष्ट्र) जाने हेतु दिनांक 11, 12, 15 से 17 दिसंबर 2008 तक कुल 05 दिवस के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 13, 14 एवं 18 दिसंबर 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश के लाभ की अनुमति प्रदान करते हुए अवकाश यात्रा सुविधा (एल. टी. सी.) स्वीकृत करता है.

2. श्री अनिल एम. नवानी, भापुसे, महानिदेशक, छसबल, छ. ग. रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल एम. नवानी, भापुसे, महानिदेशक, छसबल, छ. ग. रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री अनिल एम. नवानी, भापुसे, महानिदेशक, छसबल, छ. ग. रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

क्रमांक/एफ 1/70/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 01-08-2008 जिसके द्वारा श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे तत्कालीन संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 04-08-2008 से 14-08-2008 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 15 से 17 अगस्त 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई थी, को निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11283/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	जन्तर प. ह. नं. 13	1.739	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज की बायीं तट मुख्य नहर के जन्तर लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11284/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आतरगांव प. ह. नं. 59	5.055	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज की बायीं तट मुख्य नहर के जन्तर लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11285/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पाण्डुका प. ह. नं. 59	0.831	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज की बायीं तट मुख्य नहर के पाण्डुका लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11286/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को,इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	लक्ष्मणभरदा प. ह. नं. 59	3.025	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज की बायीं तट मुख्य नहर के चिचदो लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर,जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बनियागांव प.ह.नं. 60	0.19	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	बनियागांव उद्वहन सिंचाई योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बनियागांव प.ह.नं. 35	0.07	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	बनियागांव उद्वहन सिंचाई योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	छुरावण्ड प.ह.नं. 36	4.78	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	धाटकवाली प.ह.नं. 30	0.437	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	टिकरालोहगा तालाब योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	टिकरालोहगा प.ह.नं. 30	0.252	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	टिकरालोहगा तालाब योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक /190 /भू-अर्जन /आई. सी. पी. एल. /2008.—इस कार्यालय द्वारा जारी ग्राम सलका, प. ह. नं. 78, तहसील प्रेमनगर, जिला सरगुजा (छ. ग.) के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं धारा 6 की अधिसूचनाएं छ. ग. राजपत्र, भाग-1 क्रमशः दिनांक 5 सितम्बर, 2008 के पृष्ठ क्रमांक 2604 एवं दिनांक 5 दिसम्बर 2008 के पृष्ठ क्रमांक 3174 से 3178 में प्रकाशित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82 /2008-09 अंकित हो गया है, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में जहां-जहां पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82 /2008-09 वाक्यांश अंकित है, के स्थान पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82 /2007-08 पढ़ा जावे.

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक /191 /भू-अर्जन /आई. सी. पी. एल. /2008.—इस कार्यालय द्वारा जारी ग्राम नारायणपुर, प. ह. नं. 46, तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं धारा 6 की अधिसूचनाएं छ. ग. राजपत्र, भाग-1 क्रमशः दिनांक 5 सितम्बर, 2008 के पृष्ठ क्रमांक 2604 एवं दिनांक 5 दिसम्बर 2008 के पृष्ठ क्रमांक 3178 से 3180 में प्रकाशित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82 /2008-09 अंकित हो गया है, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में जहां-जहां पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82 /2008-09 वाक्यांश अंकित है, के स्थान पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82 /2007-08 पढ़ा जावे.

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक /192 /भू-अर्जन /आई. सी. पी. एल. /2008.—इस कार्यालय द्वारा जारी ग्राम कठमुण्डा, प. ह. नं. 46 तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं धारा 6 की अधिसूचनाएं छ. ग. राजपत्र, भाग-1 क्रमशः दिनांक 5 सितम्बर, 2008 के पृष्ठ क्रमांक 2605 एवं दिनांक 5 दिसम्बर 2008 के पृष्ठ क्रमांक 3180 से 3185 में प्रकाशित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 /2008-09 अंकित हो गया है, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में जहां-जहां पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 /2008-09 वाक्यांश अंकित है, के स्थान पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 05/अ-82 /2007-08 पढ़ा जावे.

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक /193/भू-अर्जन /आई. सी. पी. एल. /2008.—इस कार्यालय द्वारा जारी ग्राम मुड़गांव, प. ह. नं. 46, तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं धारा 6 की अधिसूचनाएं छ. ग. राजपत्र, भाग-1 क्रमशः दिनांक 5 सितम्बर, 2008 के पृष्ठ क्रमांक 2605 एवं दिनांक 5 दिसम्बर 2008 के पृष्ठ क्रमांक 3186 से 3189 में प्रकाशित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-82 /2008-09 अंकित हो गया है, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में जहां-जहां पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-82 /2008-09 वाक्यांश अंकित है, के स्थान पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/अ-82 /2007-08 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.174 हेक्टेयर (20×20) मीटर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
335/6	0.174
योग	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन-विद्युत मण्डल के टॉवर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

क्रमांक 1081/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 005/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 74/13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
342	0.05
343	0.05
346	0.05
422	0.80
423	1.10
420	0.55
421	1.00
426	1.02

	(1)	(2)
	430	0.24
	349	0.02
	338	0.03
	354	0.27
योग	12	5.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नयी राजधानी योजनांतर्गत लॉजिस्टिक हब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

क्रमांक/गन्ना/आरक्षण/08-09/164.—मैं अवध बिहारी, गन्ना आयुक्त, छ. ग. रायपुर; मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर के लिये छ. ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2008-09 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का गन्ना निम्न क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाने द्वारा क्रय किया जावेगा.

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	जिला	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	आरक्षित ग्रामों में गन्ने का क्षेत्र. हे. में	रिमार्क
1.	लुण्ड्रा	सरगुजा	63	244.44	संलग्न सूची में ग्राम बटवाही, जरहाडीह एवं डेहोली को छोड़कर
2.	सीतापुर	सरगुजा	30	164.73	
3.	अंबिकापुर	सरगुजा	52	135.00	
4.	सूरजपुर	सरगुजा	26	328.78	
5.	राजपुर	सरगुजा	19	76.43	
6.	प्रतापपुर	सरगुजा	45	304.10	

अवध बिहारी,
गन्ना आयुक्त.

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2008-09 की अतिरिक्त जानकारी

स. क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड/तहसील का नाम	गांव का नाम	निकटस्थ केन्द्र से ग्राम की दूरी (कि. मी. में)	गन्ने का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लुण्ड्रा	लुण्ड्रा	कोयलारी	66.00	0.8
2.			चलगली	68.68	0.6
3.			ककनी	67.00	0.4
4.			कर्रा	61.70	2.6
5.			कछार	60.00	0.2
6.			देवरी	62.00	4.1
7.			डुमरडीह	68.58	0.2
8.			नवाडीह	57.00	9.2
9.			खालपोडी	59.00	2.6
10.			सोनरडीह	58.00	0.7
11.			सेमरडीह	51.65	1.4
12.			बरकोल	55.38	2.2
13.			करगीडीह	49.00	1.8
14.			कुन्दीकला	48.22	0.6
15.			चिरगा	53.95	0.2
16.			चोरकीडीह	49.64	9.064
17.			सिलसिला	52.00	9.659
18.			धथरी	49.00	0.8
19.			गगोली	63.42	6.2
20.			सहनपुर	60.26	14.509
21.			करौली	59.97	0.8
22.			डकई	46.20	1.2
23.			बदगरी	45.05	2.1
24.			राता	43.61	0.4
25.			चलगली	68.68	2.2
26.			डडगांव	55.00	2.9
27.			उदारी	45.34	6.6
28.			बुलगा	48.21	1.8
29.			उरदरा	59.40	2.2
30.			गुपखार	61.70	6.05
31.			तुरियाबीरा	53.95	3.5
32.			असकला	52.51	0.2
33.			महोरा	54.52	7.5
34.			बिल्हया	66.86	0.8
35.			बबौली	61.00	3
36.			मसगा	60.26	0.4
37.			पडौली	58.00	5.8
38.			खुटीपारा	62.00	7.2
39.			पार्वतीपुर	54.00	3.03
40.			बरगीडीह	56.82	5.125
41.			गाजरमुडा	57.96	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42.			खाराकोना	63.00	1.59
43.			हरिसाडांड	48.00	2.4
44.			झेराडीह	52.00	2.64
45.			अगासी	60.83	2.8
46.			करांकी	52.51	3.332
47.			डहौली	42.00	6.8
48.			लुण्ड्रा	52.57	4.502
49.			करेसर	58.25	1.2
50.			अमगांव	58.25	1.9
51.			ससौली	56.53	14.8
52.			जरहाडीह	49.64	19.6
53.			बटवाही	48.50	16
54.			गुजरखार	44.90	11.8
55.			नागम	66.86	13.4
56.			बरौली	64.57	3
57.			रीरी	63.99	2.6
58.			कोरधा	61.70	10
59.			परसेना	59.00	6.6
60.			कोट	60.00	0.35
61.			सामरखार	62.00	0.817
62.			चन्देश्वरपुर	60.55	2.2
63.			हुमली	55.00	1.4
64.			बहराडीह	58.00	0.6
65.			दोरना	59.00	5.6
66.			लमगांव	49.64	20.158
				महायोग	**286.846**
1.	सीतापुर	सीतापुर	चलता	80.00	2.267
2.			मिउवा		2.786
3.			भिठवा	92.59	28.534
4.			हर्राटिकरा	93.74	10.432
5.			सूर	88.86	2.200
6.			उलकिया	101.78	15.852
7.			बेलगांव	98.33	5.486
8.			देवगढ़	82.83	4.400
9.			रजोटी	93.17	7.683
10.			केसला	91.44	4.505
11.			रजपुरी	81.69	8.900
12.			सहनपुर	88.50	4.940
13.			लिचिरमा	100.00	12.154
14.			प्रतापगढ़	92.88	10.117
15.			राधापुर	95.46	23.775
16.			मुंडापारा	90.00	0.200
17.			पेटला	98.91	0.978
18.			ढेलसरा	89.72	0.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.			ढेकीडोली	79.50	0.500
20.			बगडोली	68.70	1.180
21.			बनेया	77.50	5.000
22.			सोनतरई	79.00	1.400
23.			आमाटोली	85.00	0.040
24.			धरमपुर	90.30	2.306
25.			रायकेरा	73.40	0.700
26.			परसा	90.00	1.100
27.			भूसू	83.12	5.200
28.			भत्राडांड	85.40	0.800
29.			गेरसा	99.00	0.500
30.			शिवनाथपुर	100.99	0.200
			योग		**164.735**
1.	**अम्बिकापुर**	**अम्बिकापुर**			
1.		--,,--	नवानगर	52.52	10.300
2.		--,,--	पम्पापुर	55.96	8.750
3.		--,,--	खजुरी	53.09	15.600
4.		--,,--	कुम्हलता	45.00	1.650
5.		--,,--	सोनबरसा	48.79	0.600
6.		--,,--	टपरकेला	50.79	0.600
7.		--,,--	नवापाराकला	48.00	0.100
8.		--,,--	कल्याणपुर	52.23	0.500
9.		--,,--	दरिमा	43.73	0.074
10.		--,,--	नानदमाली	49.00	0.200
11.		--,,--	बरगवां	42.00	0.880
12.		--,,--	भालूकछार	51.08	0.320
13.		--,,--	नवापाराखुर्द	40.00	0.602
14.		--,,--	कोटेया	44.77	1.462
15.		--,,--	लब्जी	36.44	1.200
16.		--,,--	सुखरी	42.00	1.200
17.		--,,--	कोलडीहा	31.85	0.800
18.		--,,--	बांकीपुर	38.00	0.200
19.		--,,--	रनपुरकला	33.00	0.200
20.		--,,--	सरगवां	24.39	2.000
21.		--,,--	किशननगर	42.00	1.000
22.		--,,--	बलसेड़ी	18.65	12.490
23.		--,,--	खलीबा	21.52	4.250
24.		--,,--	बठनीझरिया	25.25	1.280
25.		--,,--	कुल्हाड़ी	21.52	4.072
26.		--,,--	भफौली	21.23	15.378
27.		--,,--	करम्हा	50.00	16.479
28.		--,,--	भिट्टीखुर्द	34.44	0.400
29.		--,,--	ओसाली	25.83	0.400
30.		--,,--	जगदीशपुर	37.13	0.481

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.		अम्बिकापुर	चित्ताबिहार	46.00	0.472
32.		--,,--	सोहगा	41.90	0.130
33.		--,,--	पटपरिया	30.00	0.400
34.		--,,--	करां	48.00	1.952
35.		--,,--	पोड़ीकला	19.22	2.138
36.		--,,--	रूपपुर	40.75	0.894
37.		--,,--	फुन्दूरडिहारी	26.00	0.330
38.		--,,--	डिगमा	23.82	0.400
39.		--,,--	भकुरा	23.53	1.210
40.		--,,--	परसा	31.00	6.440
41.		--,,--	मुड़ेसा	38.74	0.300
42.		--,,--	उदयपुर ढाब	40.18	0.200
43.		--,,--	भिट्टीकला	35.00	0.400
44.		--,,--	खैरबार	27.00	0.182
45.		--,,--	श्रीगढ़	28.00	0.078
46.		--,,--	बरकेला	45.34	1.310
47.		--,,--	पोडिया	44.19	1.000
48.		--,,--	ससकालो	49.36	1.600
49.		--,,--	लिबरा	44.48	0.240
50.		--,,--	करेया	47.64	1.200
51.		--,,--	कलगसा	41.00	3.700
52.		--,,--	कंचनपुर	25.00	7.762
	महायोग	425	25.022		135.006
1.	सूरजपुर	सूरजपुर			
1.		--,,--	जुड़वानी	20.95	8.320
2.		--,,--	करलगिरी	11.00	0.900
3.		--,,--	हरिपुर	12.91	25.650
4.		--,,--	रामेश्वरपुर	11.00	12.500
5.		--,,--	छत्तरपुर	13.00	12.180
6.		--,,--	तुलसी	10.04	11.650
7.		--,,--	गंगापुर	15.21	7.730
8.		--,,--	जगतपुर	30.00	4.800
9.		--,,--	बृजनगर	23.00	4.380
10.		--,,--	अनुजनगर	27.00	8.960
11.		--,,--	पाठकपुर	12.05	11.640
12.		--,,--	पोड़िपा	15.78	15.200
13.		--,,--	मजीरा	15.49	13.490
14.		--,,--	बिहारपुर	17.22	11.970
15.		--,,--	गजाधरपुर	31.00	2.350
16.		--,,--	कल्याणपुर	13.00	85.120
17.		--,,--	केरता	1.00	18.460
18.		--,,--	द्वारिकानगर	25.00	9.300
19.		--,,--	लटोरी	26.00	6.700
20.		--,,--	हिराडबरी	32.00	0.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.		सूरजपुर	सोनवाही	30.00	1.200
22.		--,,--	रमेशपुर	40.00	2.100
23.		--,,--	मोहनपुर	10.90	6.950
24.		--,,--	मदनपुर	42.00	2.720
25.		--,,--	अखोराकला	18.00	23.660
26.		--,,--	सुन्दरगंज	15.00	20.500
				महायोग	**328.780**
1.	**राजपुर**	**राजपुर**			
1.		--,,--	दुप्पी	10.04	7.400
2.		--,,--	चौरा	7.74	8.700
3.		--,,--	मरकाडांड़	10.00	1.800
4.		--,,--	नरसिंहपुर	16.64	6.800
5.		--,,--	बाटीडांड़	22.96	1.000
6.		--,,--	बादा	24.96	1.200
7.		--,,--	बरियों	19.51	2.000
8.		--,,--	भिलाईखुर्द	25.54	3.605
9.		--,,--	अखोराखुर्द	12.62	5.932
10.		--,,--	प्रसवारकला	15.74	1.083
11.		--,,--	रेवतपुर	7.74	10.636
12.		--,,--	बदौली	10.04	14.051
13.		--,,--	खोखनियां	5.45	3.636
14.		--,,--	शिवपुर	20.00	0.600
15.		--,,--	धन्धापुर	11.48	0.400
16.		--,,--	खुखरी	15.49	1.783
17.		--,,--	सिधमा	14.35	5.405
18.		--,,--	खोड़रो	13.77	0.400
19.		--,,--	नवकी	24.96	-
				महायोग	**76.431**
1.	**प्रतापपुर**	**प्रतापपुर**			
1.		--,,--	सेन्धोपारा	15.00	1.340
2.		--,,--	खोरमा	17.50	7.690
3.		--,,--	प्रतापपुर	14.00	1.200
4.		--,,--	खजुरी	21.23	3.722
5.		--,,--	मायापुर	22.96	3.400
6.		--,,--	मायापुर-1	08.00	6.100
7.		--,,--	चन्दौरा	20.00	2.000
8.		--,,--	सेमई	20.00	2.000
9.		--,,--	बरौल	18.00	3.800
10.		--,,--	डुमरखोली	24.10	0.800
11.		--,,--	सोनगरा	34.00	8.790
12.		--,,--	दरहोरा	23.00	4.310
13.		--,,--	हरिहरपुर	32.00	1.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.		प्रतापपुर	सेमराकला	22.96	21.300
15.		--,,--	बैकोना	20.37	21.600
16.		--,,--	सौतार	18.00	3.800
17.		--,,--	चन्दरपुर	7.17	1.000
18.		--,,--	सुखदेवपुर	4.30	5.800
19.		--,,--	कोटेया	14.00	18.010
20.		--,,--	खड़गवांकला	5.45	60.3000
21.		--,,--	गौरा	6.31	12.170
22.		--,,--	भरदा	10.04	8.280
23.		--,,--	जगन्नाथपुर	3.15	0.460
24.		--,,--	केरता	1.00	16.290
25.		--,,--	पम्पापुर	1.43	7.260
26.		--,,--	चांचीडांड़	12.00	11.060
27.		--,,--	चन्देली	21.52	5.600
28.		--,,--	ठुक्कुडांड़	14.00	17.900
29.		--,,--	सोनपुर	20.66	3.000
30.		--,,--	पडिया	11.00	2.200
31.		--,,--	गोटगांवा	11.00	0.800
32.		--,,--	धरमपुर	6.02	2.600
33.		--,,--	माड़ीडांड़	13.44	9.950
34.		अम्बिकापुर	मानपुर	5.00	3.600
35.		--,,--	गणेशपुर	12.00	0.600
36.		--,,--	मदनपुर	20.00	3.880
37.		--,,--	शंकरपुर	30.00	1.940
38.		--,,--	पलढ़ा	14.00	4.580
39.		--,,--	सिंधरा	17.00	1.600
40.		--,,--	बरबसपुर	15.78	1.200
41.		--,,--	खैराडीह	26.97	2.400
42.		--,,--	कुंशी	26.00	0.600
43.		--,,--	सिलौटा	24.00	3.300
44.		--,,--	करसी	18.00	3.000
45.		--,,--	सकलपुर	33.00	1.100
	महायोग	**425**	**25.022**		**304.102**